

कार्यालय- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)

क्रमांक- स्था./2024/ 243


दिनांक- 23/12/2024

-: आदेश :-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/कनिष्ठ न्यायिक सहायक एवं लिपिक ग्रेड-II/2022/2248 दिनांक 05.08.2022 की निरन्तरता में पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)/88/22/1263 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा आरक्षित सूची (Reserve List) से चयनित निम्न अभ्यर्थीगण को राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिए राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में लिपिक ग्रेड-II के पद पर अस्थाई तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार रूपए 14,600/-रूपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

Sr. No.	Merit No.	Name	Father's Name	DOB	Original/Selected Category	Gender
1.	W-3	VIPIN MITTAL	RAJENDRA PRASAD	19.03.1993	GEN	MALE
2.	W-55	SHUBHAM PRATAP SINGH	CHANDRAVEER SINGH RAJAWAT	15.05.1998	EWS	MALE
3.	W-99	VIJAYA MALINDA	VINOD KUMAR	02.01.2003	SC	FEMALE

1. सभी नियुक्तियों कनिष्ठ न्यायिक सहायक/कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-द्वितीय की संयुक्त परीक्षा 2022 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाए जाने पर परीवीक्षाकाल 01 साल या समुचित अंतराल में 2 वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे-मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण-पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनाएं या सत्यापन सही नहीं पाए जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाए जाने पर बिना नोटिस दिए सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुर्नभरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्रों के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, सेवानियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
धौलपुर

क्रमांक- स्था./2024/ ५८६५-७१

दिनांक- २३/१२/२०२४

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राज.उच्च न्यायालय जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 1263 दिनांक 20.12.2024 के क्रम में सादर
2. श्री विपिन मित्तल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, जाति वैश्य निवासी कुलश्रेष्ठ भवन के पास, शिवनगर कॉलोनी, भरतपुर, जिला भरतपुर (राज.)-321001 मो.नं.-8952965044 Email Id- luckyvicky1991@gmail.com
3. श्री शुभम प्रताप सिंह पुत्र श्री चन्द्रवीर सिंह राजावत, जाति राजपूत, निवासी गांव व पोस्ट भाण्डेडा, तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)-303313 मो.नं.-9649410118 Email Id- shubhamsinghkalyanwat@gmail.com
4. सुश्री विजया मलिन्दा पुत्री श्री विनोद कुमार, जाति मेघवाल, निवासी गांव व पोस्ट कुकडोद तहसील मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)-341505 मो.नं.-8696603100 Email Id- vijayamalinda35986@gmail.com
5. व्यक्तिगत सर्वश्री/सुश्री.....
6. कम्प्यूटर लिपिक, जिला न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. आदेश/सम्बंधित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
धौलपुर